

27/05/24

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपा।  
प्रतिवादीगण के सम्मन पेश करने में  
पर्याप्त अवसर दिये बावजूद पेश नहीं  
किये। अतः वादी का वाद Non-Complain  
(अपमान) में खारिज किया जाता है।  
पत्रावली कैंसल शुमार होकर दाखिल  
दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर  
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

